भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3872

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ पेयजल का प्रावधान

3872. डा॰ सत्यनारायण जटियाः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पेयजल को प्रदूषित करने वाले कारकों से मुक्त करने के प्रभावी उपाय तथा जन सामान्य के उपयोग के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की नीति और कार्य-योजना क्या है; और

(ख) देश में प्रदूषित जल वाले क्षेत्रों तथा शोधित करके शुद्ध पेयजल प्रदान किए जाने हेतु किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, निष्पादन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग कवरेज के लिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए, नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) और सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मार्च, 2016 में 1,000 करोड़ रुपए जारी किए थे।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को 4 वर्षों की अवधि में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधियों की उपलब्धता के शर्त के अधीन एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन आरंभ किया था। राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 28 मार्च, 2018 तक प्रदत्त सूचना के अनुसार फ्लोराइड, आर्सेनिक लौह, लवणता, नाइट्रेट और भारी धातु प्रभावित बसावटों की राज्य वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

दिनांक 02/04/2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3872 के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्रदत्त सूचना के अनुसार फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह लवणता, नाइट्रेट और भारी धातु प्रभावित बसावटों की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	प्रभावित बसावटों की संदूषणवार संख्या						
		फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	कुल
1	आंध्र प्रदेश	348	0	1	62	6	0	417
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	31	0	0	0	31
3	असम	285	4514	6213	0	0	7	11019
4	बिहार	898	871	2443	0	0	0	4212
5	छत्तीसगढ़	403	19	728	2	10	0	1162
6	हरियाणा	118	0	0	9	0	0	127
7	जम्मू एवं कश्मीर	4	0	12	0	0	0	16
8	झारखंड	534	101	2183	3	4	0	2825
9	कर्नाटक	579	4	77	40	318	1	1019
10	केरल	34	0	199	96	32	0	361
11	मध्य प्रदेश	171	0	5	10	0	0	186
12	महाराष्ट्र	75	0	17	92	88	0	272
13	मेघालय	0	0	32	0	0	0	32
14	नागालैंड	0	0	30	0	0	0	30
15	ओडिशा	104	0	2543	377	0	0	3024
16	पंजाब	298	698	267	14	143	2106	3526
17	राजस्थान	5996	0	5	12606	1050	0	19657
18	तमिलनाडु	0	0	171	22	0	0	193
19	तेलंगाना	681	0	36	182	145	0	1044
20	त्रिपुरा	0	0	2538	0	0	0	2538
21	उत्तर प्रदेश	179	748	362	80	10	0	1379
22	उत्तराखंड	0	0	13	0	3	0	16
23	पश्चिम बंगाल	1322	9934	5707	474	0	270	17707
कुल		**12029**	**16889**	**23613**	**14069**	**1809**	**2384**	**70793**